| तारीख हुक्म | **न्यायालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा**<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**फौजदारी अपील संख्याः 584/2019**<br>**रमेशचन्द बनाम राजस्थान राज्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|

**दिनांक :– 09.02.2026**

अपीलांट अनुपस्थित। उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं।

रेस्पोन्डेन्ट की ओर से लोक अभियोजक उपस्थित।

अपीलांट तथा उसके अधिवक्ता को कई बार आवाजें दिलाई गई। न्यायालय समय समाप्त होने को है। अपीलांट और उसके अधिवक्ता अनुपस्थित, उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस अपील प्रकरण में अपीलांट की सजा स्थगन आदेश पारित किये जाने की दिनांक 26.11.2019 के पश्चात् अपीलांट अनुपस्थित रहा है एवं स्थगन आदेश की पालना में विचारण न्यायालय में जमानत–मुचलके पेश नहीं किये गये। तत्पश्चात् दिनांक 07.05.2024 को अपीलांट रमेशचन्द का स्थगन आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा रद्द (Vacate) किया जा चुका है। आज दिनांक तक प्रकरण में अपीलांट अनुपस्थित है उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रकरण में अपीलांट को दिनांक 21.06.2023 व 25.08.2023 हेतु जर्ये वारण्ट गिरफ्तारी तलब किया गया था जिस पर यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि "वारण्टी के दिये गये पते पर पहुंचे वहां इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता, काफी तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। आस पास की दुकानों, सोसायटी में पता किया तो कुछ पता नहीं चला। वारण्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताया, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली।" विचारण न्यायालय द्वारा भी अपीलांट/अभियुक्त को जर्ये वारण्ट गिरफ्तारी तलब किया जा चुका है परन्तु वारण्ट गिरफ्तारी की तामील सम्भव नहीं हो पाई।

चूंकि यह अपील प्रकरण वर्ष 2019 से लम्बित होकर पांच वर्ष से अधिक पुराना एवं इस न्यायालय के लक्षित प्रकरणों की सूची में सूचीबद्ध है एवं अपीलांट की उपस्थिति अपीलीय न्यायालय एवं विचारण न्यायालय दोनों के द्वारा तलब किये जाने पर भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है और न ही अपीलांट की ओर से उसकी पैरवी करने के लिए कोई उपस्थित आ रहा है। ऐसी स्थिति में अपील प्रकरण को अनिश्चितकाल तक केवल मात्र अपीलांट की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लम्बित रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

सेशन न्यायाधीश
कोटा (राज0)

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी प्रकरण Shyam Deo Pandey v. State of Bihar (1971) 1 SCC 855 तथा Bani Singh v. State of U.P. (1996) 4 SCC 720 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलांट और उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने की स्थिति में, यदि बार–बार अपीलांट को तलब किये जाने के पश्चात् भी अपीलांट की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तो अपीलीय न्यायालय प्रकरण में स्थगन (adjournment) देने के लिए बाध्य नहीं है एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने के पश्चात् अपीलीय न्यायालय गुणावगुण के आधार पर अपील प्रकरण का निस्तारण कर सकता है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में इस न्यायालय का यह मत है कि यदि अपीलांट अथवा उसके अधिवक्ता आगामी पेशी पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आते हैं तो प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति अपीलांट/अधिवक्ता अपीलांट एवं किये जाने निस्तारण अपील प्रकरण गुणावगुण के आधार पर दिनांक 20.02.2026 को पेश हो।

सेशन न्यायाधीश
कोटा (राज0)